संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश
ग–खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल – 462004
☎ – (0755) 2551199, 2552003
फैक्स – 0755–2551387

क्र.प्राविवि / प्रमंजधयो–2 / संविसं / 2015 / 1600 भोपाल, दिनांक 30 मई 2015

तत्काल / महत्वपूर्ण / समय–सीमा

प्रति,

1. **संभागायुक्त** (समस्त), मध्य प्रदेश
2. **कलेक्टर** (समस्त), मध्य प्रदेश
3. **पुलिस उप माहानिरीक्षक**, भोपाल / इन्दौर
4. **पुलिस अधीक्षक** (समस्त), मध्य प्रदेश
5. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** (समस्त), जिला पंचायत, मध्य प्रदेश
6. **आयुक्त** (समस्त), नगर निगम, मध्य प्रदेश
7. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** (समस्त), नगर पालिका / नगर पंचायत, मध्य प्रदेश
8. **राज्य स्तरीय प्रमुख**, समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश
9. **राज्य स्तरीय प्रमुख**, समस्त निजी क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश
10. **अध्यक्ष**, समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश
11. **प्रबंध संचालक**, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
12. **आंचलिक प्रबंधक**, भारतीय जीवन बीमा निगम, भोपाल
13. **क्षेत्रीय प्रबंधक**, न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि0, भोपाल
14. **क्षेत्रीय प्रबंधक**, यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि0, भोपाल
15. **क्षेत्रीय प्रबंधक**, ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लि0, भोपाल
16. **क्षेत्रीय प्रबंधक**, नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि0, भोपाल
17. **अग्रणी जिला प्रबंधक** (समस्त), मध्य प्रदेश

विषयः– **प्रधान मंत्री जन धन योजना के द्वितीय चरण अंतर्गत प्रारम्भ की गई योजनाएं – अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना बाबत्।**

संदर्भः–
1. पत्र क्र.प्राविवि / प्रमंजधयो–2 / संविसं / 2015 / 1358 दिनांक 1 मई 2015।
2. पत्र क्र.प्राविवि / प्रमंजधयो–2 / संविसं / 2015 / 1366 दिनांक 2 मई 2015।
3. मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्र. 170 / मु.स. / 2015 दिनांक 6 मई 2015।
4. मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क्र. 2925 / उ.स. / मु.स. / 2015 दिनांक 7 मई 2015।
5. मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्र. 174 / मु.स. / 2015 दिनांक 12 मई 2015।
6. पत्र क्र.प्राविवि / प्रमंजधयो–2 / संविसं / 2015 / 1464 दिनांक 14 मई 2015।
7. मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्र. 183 / मु.स. / 2015 दिनांक 18 मई 2015।
8. पत्र क्र.प्राविवि / प्रमंजधयो–2 / संविसं / 2015 / 1539 दिनांक 21 मई 2015।
9. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग का पत्र क्र. 1 / 9 / 2014–एफआई (पीटी. III) (सी–68798) दिनांक 21–05–2015।

=0=

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के कियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। **सरल कमांक 9 पर संदर्भित पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है**, जिसके माध्यम से भारत सरकार ने अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के नाम का उपयोग करते हुए कतिपय संस्थानों / व्यक्तियों द्वारा बैंक मित्र / ग्राहक सेवा एजेंट्स आदि हेतु नौकरी दिलाने के नाम पर सुरक्षा जमा राशि स्वीकार करते हुए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत् किसी प्रकार की नौकरी देने / दिलाने का प्रावधान नहीं है। भारत सरकार द्वारा न ही नौकरी के लिये कोई विज्ञापन दिया गया / जा रहा है और न ही किसी प्रकार की सुरक्षा निधि की मांग ऐसी नौकरी हेतु की जा रही है।

अतः, आपसे अपेक्षा है कि यदि ऐसा कोई विज्ञापन/प्रकरण आपके समक्ष आता है तो उस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस थाने में तत्काल शिकायत/एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जाये जिससे कि संबंधित संस्थान/व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही हो सके। ऐसे प्रकरण की सूचना इस कार्यालय को भी तत्काल दी जाये।

संलग्नः–उक्तानुसार।

(विवेक अग्रवाल)
मिशन डायरेक्टर
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त

पृ.क्र.प्राविवि/प्रमंजधयो–2/संविसं/2015/1601 भोपाल, दिनांक 30 मई 2015

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नईदिल्ली की ओर अपने अ0शा0 पत्र क. 1/9/2014–एफआई (पीटी.।।।) (सी–68798) दिनांक 21-05-2015 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
7. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
8. मुख्य महाप्रबंधक ,नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
9. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश, भोपाल।

मिशन डायरेक्टर
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त

राजेश अग्रवाल
संयुक्त सचिव
Rajesh Aggarwal
JOINT SECRETARY
TELE FAX. : 011-23745151
E-mail : js6-dfs@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएँ विभाग
जीवन दीप भवन, तीसरी मंजिल
१०, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली-११०००१
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
JEEVAN DEEP BUILDING, 3RD FLOOR,
PARLIAMENT STREET,
NEW DELHI-110 001

D.O. No. 1/9/2014-FI (Pt.III) (C-68798)

May 21, 2015

Dear Shri Aggarwal

Please refer to the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) launched by the Hon'ble Prime Minister on 28/ 8/2014 with the main objective of providing each household with atleast one basic bank account across the country.

2. The role of your State Government in the whole process has been very supportive and instrumental in achieving the targets of PMJDY. As on 06.05.2015, 15.44 crore accounts have been opened under PMJDY out of which 9.26 crore accounts are in rural areas and 6.18 crore in urban areas. Deposit of Rs.16533.37 crore has been mobilized and 13.83 crore RuPay Debit cards have been issued under PMJDY.

3. In the meanwhile, it has come to our notice that some organisation(s) using name similar to PMJDY, are defrauding public by accepting security deposit on the pretext of offering jobs of Bank Mitras/Customer Service Agents.

4. As you may be aware, there is no provision of providing job to anyone under PMJDY. Under PMJDY, Government of India or any of its associated offices have neither offered any job to any one nor demanded any security for offering job. Therefore, the public needs to be made aware of this fact and be suitably educated so that they are not influenced by such fake/ fraudulent advertisement or offer of job.

5. In view of the above, I would request you that in case such advertisements/ incidents come to your notice, a complaint should be lodged in the nearest police station by the concerned authorities so that necessary action may be initiated against the concerned organisation/person.

6. Your cooperation in the effective implementation of PMJDY and prevention of such fraudulent activities is solicited.

With regards,

Yours sincerely,

(Rajesh Aggarwal)

Shri Vivek Aggarwal,
Secretary to
Govt. of Madhya Pradesh,
C-Wing, First Floor,
Vidhyanchal Bhawan,
BHOPAL 462011